दि 12-3-22 को नियत।

12.3.22	पत्रावली आज लोक अदालत में पेश हुई। वकील वादी उप. । जवाब सादा कोई पेश नहीं किया। लोक अदालत की रिपोर्ट तथा वादी द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजात के आधार पर वाद, वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल मुकम्मल होकर जमा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	वाद स्वीकार योग्य है। TDR सांगानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 121 / 2021

तारीख दायरा:– 21.09.2021

उनवान

1. परमानन्द पुत्र श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद।
2. मेघराज पुत्र श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद ।
3. मुकेश पुत्र श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद जिला कोटा।
4. राजेश पुत्री श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद जिला कोटा।
5. जानकीबाई बेवा श्री गौरीशंकर जाति बैरवा निवासी घाटोल्या तह0 सांगोद।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :–

श्री नरेश कुमार गौतम (वकील वादीगण) दिनांक :– 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका खानदानी सजरा हस्ब निम्न प्रकार है :-

स्व.गौरीशंकर पुत्र जैल्या उर्फ जयलाल

परमानन्द	मेघराज	मुकेश	राजेश	रामजानकीबाई
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्र	बेवा

वादीगण ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादी कं. 1 लगायत 4 के पिता स्व. गौरीशंकर जी के खाते एवं कब्जेकाश्त की साबिक खसरा नंबर 6 रकबा 5 बीघा आराजी हाल खसरा नंबर 94 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम रोलाना तहसील सांगोद में स्थित है जो राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.05.1981 को वादीगण के पिता को आवंटित की गई थी जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल संख्या 193 दिनांक 22.10.81 से हो चुका हैं किन्तु वक्त तस्दीकी इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा सहवन से वादी के पिता के सही नाम 'गौरीशंकर' के स्थान पर मात्र 'गौरी' लिख दिया तथा वादी के पिता की वास्तविक जाति 'बैरवा' के बजाय गलत जाति 'नायक' लिख दी जबकि वादीगण के पिता व वादीगण की वास्तविक जाति बैरवा ही है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादीगण द्वारा तहसीलदार सांगोद के न्यायालय में फौती इन्तकाल खुलवाने के लिए दरख्वास्त भी दी किन्तु राजस्व रिकार्ड में जाति का अंकन होने से वादीगण के पिता का फौती इन्तकाल भी नहीं खुल सका। उक्त संबंध में पूर्व में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.1 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादीगण की ओर से जाति दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार जी को भी शिकायत दी गई किन्तु गत माह तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व रिकार्ड जाति दुरूस्त करने में असमर्थता जाहिर की व माननीय न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती वाद प्रस्तुत करने की राय व्यक्त की। वादकारण गत माह तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत इन्द्राजों को सही करने में असमर्थता व्यक्त करने एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की राय व्यक्त करने पर उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार को भूमिधारी होने से जर्ये तहसीलदार सांगोद प्रतिवादी की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है। अतः माल ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 94 रकबा 0.81 हैक्टर आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी पेरोकार सरकार तहसीलदार सांगोद द्वारा हाजिर आकर जवाबदावा पेश कर वाद स्वीकार किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार करना उचित समझती हूँ।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर माल ग्राम रोलाना तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 94 रकबा 0.81 हैक्टर आराजी में प्रत्येक वादीगण को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर उक्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज पृथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.10.17 11:39:39 IST
Reason: SelfAttested